

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2012—आश्विन 16, शक 1934

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2012

आदेश

एफ-1-04--2007-तेरह.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 151 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एदद्वारा, विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 14 के सातवें परन्तुक के अनुरूप विद्युत् के प्रदाय एवं वितरण कार्यों के लिये नियुक्त फ्रेन्चाईजी के ऐसे अधिकारी, जिन्हें, विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, को बिजली के प्रकरणों में विशेष न्यायालयों में लिखित में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहम्मद सुलेमान, सचिव.